Insurance:

Discussions on the Insurance sector related to the absolute and relative amounts of:

— the minimum paid up capital requirement of rupees one billion recommended by the Malhotra Committee;

— the maximum promoter equity participation of 40 per cent;

— and the anticipated mandated investments new participants in this sector were likely to be asked to maintain.

On each of these issues it was felt that, given the size and nature of the Indian market, and the fact that a policy decision regarding government borrowings being made at market rates had already been taken, the recommendations themselves were understandable. In addition, some flexibility was available with regard to each of the above, inbuilt into the policy recommendations currently pending before the government for approval. These issues were hence something that were likely to be evolved gradually in the long run.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे

3379. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में घाटा होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन कारणों को दूर किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो घाटे को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) क्या इस क्षेत्र के कर्मचारियों की लापरवाही और उनके कदाचार के कारण भी घाटा हो रहा हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) कारोबार की कम मात्रा, अनुपयोज्य आस्तियों का उच्च प्रतिशत और कर्मचारियों की अत्याधिक संख्या घाटों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है। विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू किये जाने से परिणामस्वरूप कुछ बैंकों को प्रावधान संबंधी अधिक अपेक्षाओं और आय की पहचान के कारण हानि भी उठानी पड़ी थी ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने और अनुपयोज्य आस्तियों को सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने के लिए जोर देता रहा है । बैंकों ने अनिष्पादित अग्रिमों की वसूली की अलग से निगरानी के लिए एक महाप्रबन्धक की निगरानी में प्रधान कार्यालयों में "वसूली कक्षों" की स्थापना की है।

(घ) और (ङ) कुछ कर्मचारियों की लापरवाही और कदाचार से भी बैंकों को घाटा होता है। बैंक इसके लिए निवारक और दंडात्मक दोनों ही उपाय करते हैं।

कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता

3380. **श्री आर मोहम्मद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का भी आंकलन किया है ताकि वे प्रति-हैक्टेयर अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए आदानों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्य दल ने आठवीं योजनावधि के दौरान कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण का पूर्वानुमान लगाया था, जो निम्नानसार है;—

— (करोड़ रुपए)

वर्ष	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
1992–93	7,619	7,369	14,988
1993–94	8,898	8,650	17,548
1994–95	10,534	10,143	20, 677
1995–96	12,457	11,665	24,122
1996–97	15,041	13,414	28,455

कृषकों की उत्पादन ऋण की आवश्यकता वित्त की मात्रा के आधार पर मंजूर की जाती है। फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्रा स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त की इस मात्रा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करनी होती है और इसे कीमतों मे परिवर्तन, निविष्टियों के स्तर, खेती की कुल लागत, कुल उपज, वापसी अदायगी की क्षमता आदि के आधार पर पुनः नियत किया जाता है।

(ग) वाणिज्यिक बैंको को अपने निबल बैंक ऋणों का कम से कम 18% कृषि के लिए मंजूर करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कृषि को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में विशिष्ट और महत्वपूर्ण सुधार करने की दृष्टि से बैंकों से विशेष ऋण योजनायें तैयार करने के लिए कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों और गतिविधियों का पता लगाएं जिन पर वे सुविधापूर्वक ध्यान केन्द्रीत कर सकते हैं तथा उनमे तदनुसार अपनी कार्य योजनायें तैयार करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादन के वास्ते समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए जो किसान कतिपय मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें उनको मिश्रित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा उन किसानों को उपलब्ध है जिनके पास सिचाई की सुविधा है तथा उनको भी दी जाती है जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन जो फसल उगाने के साथ डेरी कुक्कुट पालन आदि और/या अन्य कृषि-तर कार्य जैसे संबद्ध कार्य करते हैं और जिनका पिछले दो वर्षों मे बैंक/ऋणकर्ता खाते का संतोषजनक रिकार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे मछली-पालन, पुष्पोत्पादन, टिश्यू कल्चर, बायो-टैक्नोलाजी आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के कारण का वित्तपोषण करें।

fraud in public sector and foreign Banks

3381. SHRI AAS MOHAMMAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of fraud cases detected in the public sector banks and foreign banks during 1994-95 and the amount involved therein, bank-wise;

(b) the modus operadi of the persons involved in the frauds; and

(c) the concrete measures proposed to be taken to check the frauds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) As reported by Reserve Bank of